

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट धरियावद
जिला प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/राजस्व/2021-22/9

दिनांक 7-1-2022

प्रेषित:- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
जिला प्रतापगढ़ (राज.)

विषय:- वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन/विपथन के लिए उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ़ के पत्रांक: राजस्व/भूअ./2020-21/2644-56 दिनांक 03.12.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्नांकित गावों में राजकीय भूमि को वन विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु तहसीलदार धरियावद के मॉर्फत पटवार हल्का पहाडा एवं अणत से प्राप्त प्रस्ताव जो पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/6074 दिनांक 06.12.2021 को प्रेषित किये गये हैं जिसमें निम्नांकित संशोधन है।


01. ग्राम सेवानगर पटवार मण्डल अणत के आराजी नम्बर 68/4 रकबा 37.5624 हैक्टर बिलानाम भूमि में से 10.50 हैक्टर भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि मौके पर होकर पडत है एवं किसी प्रकार से विवादित नहीं है।

02. ग्राम मियाला पटवार मण्डल अणत के आराजी नम्बर 10 रकबा 21.6756 हैक्टर भूमि बिलानाम पहाड दर्ज है उक्त आराजी में से 13.50 हैक्टर भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि मौके पर होकर पडत है एवं किसी प्रकार से विवादित नहीं है।

03. इसके अतिरिक्त नवीन प्रस्ताव ग्राम पहाडा के पटवार हल्का चरी से प्राप्त अनुसार निम्नांकित खसरा नम्बरों में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन/विपथन के लिए प्रस्तावित की जाती है जो निम्नानुसार है:-

आराजी नम्बर	किस्म	कुल क्षेत्रफल	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
964	बिलानाम	13.6290	5.00
964/1	बिलानाम	6.4800	5.50
1457	बिलानाम	20.1852	6.00
1457/10	बिलानाम	17.2800	11.00
2070	बिलानाम	38.8800	18.00
योग		96.4542	45.50

उक्त भूमि मौके पर पडत होकर पहाड है। मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है और न ही विवादित है। अतः प्रस्तावित भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जमाबन्दी नकल, ट्रेस सहित प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।


उपखण्ड अधिकारी
धरियावद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी
धरियावद

क्रमांक/192

दिनांक/04-05-2022

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक महो.

वन मण्डल - प्रयागराज

विषय :- वन भूमि के बदले ~~का~~ क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि के आवंटन के क्रम में।

संदर्भ :- आपका पत्र एफ. / त्क. / उवसं. / 2022-23 / 2061
दिनांक 28-4-2022 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषय में निवेदन है कि RDSA MINING LLP, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.) के द्वारा प्रस्तुत वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण में वन विभाग की क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि के संबंध में श्रुचना निम्नानुसार है :-

(1) राजस्व ग्राम सेवानगर आयबी नं. कुल रकम किस्म प्रत्येक रकम

68/4	38.88	भंगी	10.50
------	-------	------	-------

→ उक्त गैर वन भूमि के निकटतम वनखंड अलग है अतः गैर वन भूमि की सीमा वन सीमा से लगे हुए है अतः इसी शून्य है।

→ उक्त गैर वन भूमि पर विभाग द्वारा पूर्व में किसी प्रकार का वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है।

→ उक्त गैर वन भूमि यदि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु खेती जारी है तो वनीकी दृष्टि से उपर्युक्त व CANFL मॉडल अनुसार कार्य कराया जाना संभव होगा।

→ उक्त गैर वन भूमि पर आतिक्रमण नहीं है। अतः श्रुचना श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।

नेजपाल मोणा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-धरियावद